प्रकरण संख्या 29/2015 नाथू व अन्य बनाम कंकू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी श्री हेंगजी ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 42 के सर्वे नंबर 86, 87, 94, 430, 434, 523, 534, 535 कुल खेत 8 रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम छत्रसालपुर (वड़लीपाड़ा), जिला बांसवाड़ा में स्थित है। सर्वे नंबर 87 व 94 की भूमि पर संवत् 2022 में प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया एवं अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया। दिनांक 25.06.1966 को प्रतिवादीगण ने गिरवी छुड़वाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया। उसके बाद दोनों पक्षों में दिनांक 19.08.1968 को फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ एवं प्रतिवादीगण ने उक्त खेतों पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया। अतः वादी को खाता संख्या 42 के सर्वे नंबर 86, 87, 94, 430, 434, 523, 534, 535 कुल खेत 8 रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण से कब्जा वादी को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.12.1984 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके रूष्ट होकर वादी ने राजस्व अपील अधिकारी बांसवाड़ा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 10.09.1987 स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 31.01.1991 वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बांसवाड़ा में अपील प्रस्तुत करने पर आर.ए.ए. न्यायालय ने दिनांक 17.08.1996 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वादी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 08.11.2002 को निर्णय पारित करते हुए आर.ए.ए. एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्व मण्डल के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण अधिवक्ता श्री आर. के. जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण ने सन् 1967 में कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद दिनांक 22.10.1974 को वाद प्रस्तुत किया गया एवं 12 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई थी इसलिए धारा 63 (4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा रेस्पोन्डेन्टगण प्रतिकूल कब्जा साबित कराने में असफल रहे हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2010 (1) Page 377, RRT 2006-07 (Supp.) Page 311, RRT 2006-07 (Supp.) Page 464, RRT 2008 (1) Page 151, RRD 2003 Page 214, RRD 1992 Page 598, WLN (Rev.) 1990 (1) Page 526 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/वादी द्वारा समयावधि में वाद प्रस्तुत नहीं करने के कारण खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। खतौनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में साबिक आराजी नंबर 87 व 94 वादी के पूर्वाधिकारी विठला वल्द पुनिया के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] नंबर 5 व 7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

विवेचन में प्रतिवादीगण का कब्जा 12 वर्षो से अधिक समय से होने के आधार पर उक्त तनकियां प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में तय करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी उक्त तनकी के विवेचन में यह माना है कि वादी का दिनांक 19.08.1967 को कब्जा रहा है ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध आपसी राजीनामे अनुसार गिरवी की राशि वादी द्वारा अदा की जाकर कब्जा वादी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का कब्जा दावा दायर करने के पूर्व का मानते हुए वादी को पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/2223 निर्णय एवं डिक्री 12.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पेश शुदा समस्त दस्तावेजों पर वादी व प्रतिवादी द्वारा वाद में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पक्षकारान को पुनः सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested